मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियों, एन0बी0एफ0सी0 एवं विदेशों से प्राप्त होने वाले फर्जी प्रस्तावों आदि के सम्बन्ध में धोखाधड़ी से बचने हेतु आमजनों के लिए सलाहकारी संदेश

मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियां

- मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियां चेन/पिरामिड संरचना स्कीम की तरह कार्य करती है जिसमें कम समय में आसानी से अधिक धन कमाने का प्रलोभन जनता को दिया जाता है

- इस तरह की स्कीम में जनता को अनेकों प्रकार से प्रोत्साहित करके विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता सामान आदि की मार्केटिंग करके धन प्राप्ति की बात की जाती है।

- मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियां जिनसे विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है, के मुख्य लक्षण निम्नवत् हैंः–
    - इनमें उत्पाद बेचने से अधिक जोर अधिक से अधिक नये सदस्य बनाने पर रहता है।
    - सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होती है।
    - सदस्यों पर बार–बार धन जमा करने का जोर डाला जाता है।

- जनता को इस प्रकार के प्रलोभनों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर गाइडलाइन्स जारी करके यह बताया गया है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग/पिरामिड संरचना प्रकार की स्कीमों में धन प्राप्त कर उसका सर्कुलेशन किया जाना 'प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन(बैंनिंग) एक्ट 1978 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।

अतः इस प्रकार की कम्पनियों में कम समय में अधिक धन प्राप्त करने के प्रलोभन से दूर रहने की आवश्यकता है ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (N.B.F.C.)

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के माध्यम से भी विभिन्न लुभावनी योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर एडवाइजरी जारी की गयी है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैंः–

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत NBFC(गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां) में से केवल वही गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां जनता से जमा प्राप्त कर सकती हैं जिनके पास भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त वैध पंजीयन प्रमाण पत्र हैं तथा जिन्हें जनता से जमाराशि स्वीकार करने के लिए अनुमति दी गयी है।

- जनता से जमा लेने के लिए पात्र पंजीकृत NBFC भी स्वयं के निवल स्वाधिकृत निधि (नेट ओन्ड फंड) के निर्धारित अनुपात में ही अधिकतम जमा राशि ले सकती है।

- गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी/अवशिष्ट गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी (रेसिड्यूरी नान बैंकिंग कंपनी) की जमाराशि का न तो बीमा होता है और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा की गारंटी होती है।

- भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी NBFC द्वारा स्वीकृत की गयी जमाराशि की वापसी की गारंटी नहीं देता चाहे कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आई ए के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा नहीं। आर0बी0आई0 से पंजीकृत होने पर NBFC को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने का अधिकार प्राप्त होता है पर यह पंजीकरण कंपनी के जमाकर्ताओं को उनके जमा धन की वापसी की गारंटी नहीं है।

- ऐसी कम्पनियों के पास जमा राशि रिजर्व बैंक द्वारा बीमाकृत नहीं होती है। 'डी0आई0सी0जी0सी0' नाम की एक संस्था है जो बैंकों में में जमा राशि का एक निश्चित सीमा तक बीमा करती है। बैंकों के अलावा अन्य संस्थाओं में रखी जमा राशि बीमाकृत नहीं होती है। NBFC के रूप में रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत कम्पनियां 'डी0आई0सी0जी0सी0' के तहत नहीं आती हैं। इन कम्पनियों में जमा राशियां बीमाकृत या गारन्टीयुक्त नहीं होती हैं।

- किसी भी NBFC/अवशिष्ट NBFC की जमाराशि का कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं रखती है।

- कोई भी NBFC/अवशिष्ट NBFC उपहार/प्रोत्साहन राशि नहीं दे सकती है।

- जमा प्राप्त करने वाली कंपनी के लिए अनिवार्य है कि जमाकर्ताओं को उनके द्वारा जमा की गयी समस्त राशि की समुचित रसीद दी जाय।

- कोई भी NBFC भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित ब्याज दर (रिजर्व बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार वर्तमान में 12.5 प्रतिशत) से अधिक ब्याज जनताकी जमा राशि पर नहीं दे सकती है। अवशिष्ट NBFC एकमुश्त जमा राशि पर 5 प्रतिशत की दर व दैनिक जमा योजना/आवर्ती जमा योजनाओं पर 3.5 प्रतिशत की दर से कम ब्याज नहीं दे सकतीं।

- कोई भी NBFC 12 माह से कम तथा 60 माह से अधिक समय के लिए जमा स्वीकार नहीं कर सकती है।

- इस आधार पर कि जमा की गयी किश्तें अयिमित रूप से प्राप्त हुई हैं, कोई भी NBFC जमा राशि जब्त नहीं कर सकती है।

- यदि किस कंपनी के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा शासकीय परिसमापक की नियुक्ति की गयी है, तो जमाकर्ताओं को जमा वापसी के लिए अपने दावे शासकीय परिसमापक के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

- गैर बैंकिंग कारोबार कर रही कुछ विशेष प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं जो अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा नियमित होती हैं, जो इस प्रकार हैंः–

क्र0सं0	कंपनियों के नाम	नियामक संस्था	नियामक पता
1	आवास वित्त कंपनियां	राष्ट्रीय आवास बैंक	महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर–5ए, तीसरा तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
2	मर्चेन्ट बैंकर/वेन्चर कैपिटल/स्टॉक एक्सचेंज फन्ड कंपनी /ब्रोकर/सब ब्रोकर/बागान कम्पनी	भारतीय प्रतिभूति विनियम बोड–सेबी	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेबी, 5वॉ तल, बैंक आफ बड़ौदा भवन, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
3	बीमा कंपनियां	बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण	निदेशक, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकण, दिल्ली कार्यालय, गेट नं0–3, जीवन तारा भवन, प्रथम तल, संसद मार्ग,नई दिल्ली–110001
4	चिट फंड कंपनियां	राज्य सरकारें	विभिन्न राज्यों के फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स के रजिस्ट्रार
5	निधि कंपनियां	कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार	सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं0–502, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

Email/SMS इत्यादि से प्राप्त होने वाले फर्जी प्रस्ताव

Email/SMS के माध्यम से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित प्रकार के फर्जी प्रस्तावों से सावधान रहने की आवश्यकता है:–

- लाटरी जीतना, बाहर से विदेशी मुद्रा में सस्ती निधियों के प्रेषण, रोजगार के प्रस्ताव, वजीफे के प्रस्ताव, नौकरियों के प्रस्ताव, आप्रवासन वीजा, प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव बहुधा पत्रों, ई–मेल, मोबाईल फोन पर **SMS** आदि के माध्यम से किये जाते हैं। कभी–कभी धोखेबाज प्रमाण–पत्र, पत्र, परिपत्र आदि भी जारी करते हैं जिनकों देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें विभिन्न बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों इत्यादि द्वारा भेजा गया है और उस पर उच्च कार्यपालक/वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षर देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हस्ताक्षर व पत्र वास्तविक है।

- कुछ धोखाधड़ी करने वाले धोखेबाज फर्जी टेलीफोन नम्बर/फर्जी ई–मेल आईडी के साथ स्वयं को विभिन्न बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों इत्यादि के वरिष्ठ अधिकारी होने का अभिनय/स्वांग करके पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

- सोशल साइट्स जैसे फेसबुक इत्यादि के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के लुभावने वादे कर अथवा अधिक धन का लालच देकर, रजिस्ट्रेशन फीस आदि जमा कराकर धोखाधड़ी की मामले प्रकाश में आ रहे हैं।

- इस प्रकार के छल–कपट/धोखेबाजी से भोली–भाली जनता को विभिन्न बैंकों के खातों में अथवा विभिन्न मदों में जैसे प्रसंस्करण शुल्क, लेन–देन शुल्क, कर समाशोधन प्रभार, संपरिवर्तन प्रभार, समाशोधन शुल्क आदि के नाम पर धन उगाही का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के प्रलोभनों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

- एक बार मांगी गयी प्रारम्भिक राशि जमा करने के बाद वह राशि खाते से तुरंत निकाल ली जाती है और तत्पश्चात पंजीकरण राशि इत्यादि के नाम पर पहले से अधिक राशि की नयी मांग प्रस्तुत कर दी जाती है।

- इसी प्रकार फर्जी ई–मेल/SMS/ दूरभाष के जरिये आपके इन्टरनेट बैकिंग खाते के विवरण की जानकारी के सम्बन्ध में भी प्रेषित किए जाने की जानकारी प्रकाश आई है। इनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।

- यदि आप ऐसी धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो ऐसे मामलों में तुरंत स्थानीय पुलिस/साइबर इकाई में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।